# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
## पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025 / 34
दायरा तिथि : 01.01.2025
आदेश तिथि : 14-02-25
प्रार्थी :–

1. आशीष पुत्र किशोर भाई जाति पटेल निवासी मालजीपुरा, धारोली तहसील झगडिया जिला भरूच गुजरात
2. युध्धराज पुत्र किशोर भाई वसावा जाति पटेल निवासी मालजीपुरा, धारोली तहसील झगडिया जिला भरूच गुजरात

व ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश  दिनांक: 14-02-25

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भंदर पटवार हल्का भंदर तहसील बाली के खसरा नंबर 441 रकबा 1.29 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम भंदर पटवार हल्का भंदर तहसील बाली के खसरा नंबर 423 रकबा 1.23 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर पत्रांक क्रमांक/राजस्व/2025/360 दिनांक 10.02..2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थीगण के खेत में कटान मार्ग खसरा नंबर 422 तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है एंव प्रस्तावित रास्ता ही एक मात्र स्त्रोत है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त स्त्रोतों में से निकटतम है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है।
4. यह है कि ग्राम भंदर में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

| क्र. स. | खसरा नंबर | रकबा हैक्टर में | किस्म | रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल | नाम खातेदार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | 1.23 हैक्टर | गै.मु. | 68X9=612 वर्गमीटर | राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार |

5. यह कि भू.अ. निरीक्षक नाना द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 2,10,,800रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

3

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम भंदर पटवार हल्का भंदर तहसील बाली के खसरा नंबर 441 रकबा 1.2900 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/360 दिनांक 10.02.2025 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2025/34
अनवान आशीष वगैरा बनाम सरकार
*अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955*

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भंदर पटवार हल्का भंदर तहसील बाली के खसरा नंबर 441 रकबा 1.29 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम भंदर पटवार हल्का भंदर तहसील बाली के खसरा नंबर 423 रकबा 1.23 हैक्टर में से **612 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

| खसरा नंबर | रकबा हैक्टर में | रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल | डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये | देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 2,10,800/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि | नाम खातेदार |
|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 1.23 हैक्टर | 68X9=612 वर्गमीटर | 22 | 13464X2=26928 | राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार |

**प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 26928/– (अक्षरे छब्बीस हजार नौ सौ अठाइस रूपये मात्र )** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जाकर मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(विमलेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमांक/कोर्ट/2025/ 153 – 157
दिनांक : 18.2.25

**प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–**

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, भंदर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आशीष पुत्र किशोर भाई जाति पटेल निवासी मालजीपुरा, धारोली तहसील झगडिया जिला भरूच गुजरात वगैरा को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

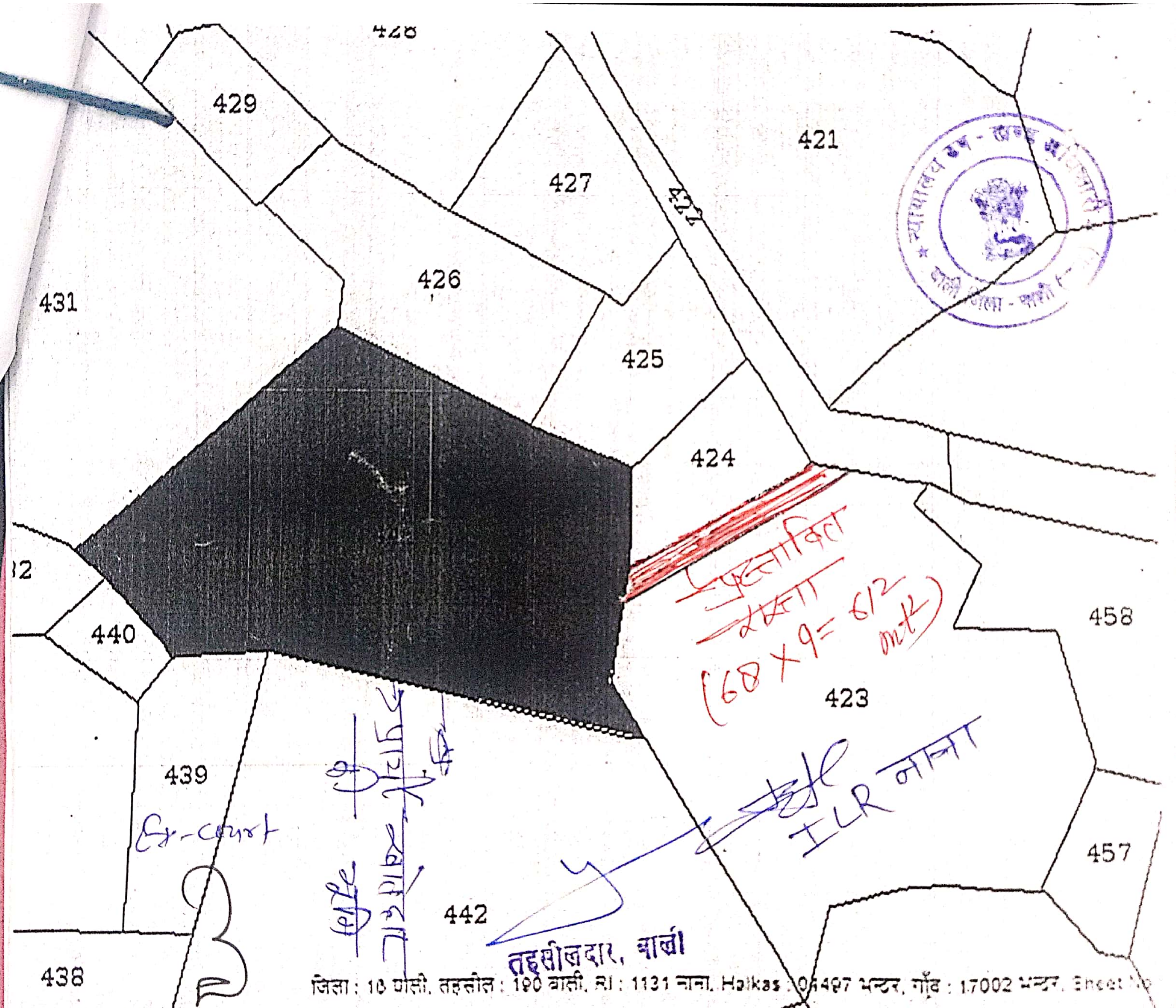


सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner